न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 181 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. गोपालराम पुत्र पन्नालाल जाति घांची निवासी सोजत सिटी हाल निवासी वीर दुर्गादास नगर, पाली तह0 व जिला पाली राज0।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री देवेन्द्र व्यास, श्री कैलाश दवे अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित
2. तहसीलदार सोजत उपस्थित

—: निर्णय :— दिनांक — 13/11/2024

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तह0 सोजत में प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि ख.नं. 1245/4, 1246/4, 1247/4, 649/4 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.17 है0 आयी हुई स्थित हैं। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/18 हिस्सा खातेदारी, कब्जा काश्त का स्थित हैं। इसी प्रकार खसरा नंबर 1245/2, 1247/2, 1252, 1261, 649/2 कुल खसरा 05 कुल रकबा 3.8620 है0 की कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/3 हक हिस्सा कब्जा काश्त का हैं, लेकिन किन्तु राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश गोपाराम पुत्र पन्नाराम इन्द्राज हैं। उक्त वादस्थ भूमि प्रार्थी की पैतृक व पुश्तैनी कृषि भूमि हैं, जो प्रार्थी के पिता पन्नालाल के स्वर्गवास के पश्चात् विरासत का नामान्तरण दर्ज करते वक्त त्रुटिवश गोपालराम पुत्र पन्नालाल के स्थान पर गोपाराम पुत्र पन्नाराम दर्ज कर दिया गया। पन्नालाल के उत्तराधिकारी वारिसान में प्रार्थी के अलावा अन्य कोई पुत्र गोपाराम नहीं हैं अर्थात् गोपालराम व गोपाराम एक ही व्यक्ति हैं। प्रार्थी को ही घर—परिवार में लाड़—प्यार से गोपाराम के नाम से पुकारते थे। प्रार्थी के आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य सरकारी व अर्द्ध सरकारी दस्तावेजात में गोपालराम दर्ज सुदा हैं। इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश कर सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तह0 सोजत में ख.नं. 1245/4, 1246/4, 1247/4, 649/4 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.17 है0 इसी प्रकार खसरा नंबर 1245/2, 1247/2, 1252, 1261, 649/2 कुल खसरा 05 कुल रकबा 3.8620 है0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम गोपाराम पुत्र पन्नाराम के स्थान पर गोपालराम पुत्र पन्नालाल दुरूस्त इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में स्थित होना, पैरा सं0 2 से 5 का जबाब प्रार्थी स्वयं न्यायालय में

उपखण्ड अधिकारी

साक्ष्य सबूत पेश कर साबित करना तथा पैरा सं0 6 से 9 का कानूनी होना अंकित किया हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तह0 सोजत में ख.नं. 1245/4, 1246/4, 1247/4, 649/4 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.17 है0 इसी प्रकार खसरा नंबर 1245/2, 1247/2, 1252, 1261, 649/2 कुल खसरा 05 कुल रकबा 3.8620 है0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम गोपाराम पुत्र पन्नाराम के स्थान पर गोपालराम पुत्र पन्नालाल दुरूस्त इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थी के दस्तावेजी साक्ष्य यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक डायरी, राशन कार्ड इत्यादि के आधार पर प्रार्थी का सही नाम गोपाल राम पुत्र पन्नालाल होने की संपुष्टि होती हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तह0 सोजत में ख.नं. 1245/4, 1246/4, 1247/4, 649/4 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.17 है0 इसी प्रकार खसरा नंबर 1245/2, 1247/2, 1252, 1261, 649/2 कुल खसरा 05 कुल रकबा 3.8620 है0 की कृषि भूमि मे दर्ज नाम गोपाराम पुत्र पन्नाराम के स्थान पर गोपालराम पुत्र पन्नालाल दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला–पाली

यह निर्णय आज दिनांक 13/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

सोजत, जिला–पाली